

है ॥

03.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त अधिवक्ता उपस्थित।  
रेस्पोंडेन्टान के सम्मन तलबाना बार-बार निर्देश दिये  
जाने के पश्चात् सम्मन तलबाना पेश नहीं किये जा रहे  
है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ  
न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर  
से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

॥

रिकार्ड रिटर्न  
1892  
9/9/19

